संख्या-933/2017/2336/22-2-2017-17(599)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 दिसम्बर, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री रामसमुझ निवासी जनपद-बाराबंकी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-32403/प्रोबेशन-3 (एम-22.06.2017) दिनांक 07.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री रामसमुझ, जो बहरेडीह, थाना-रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी ने पट्टा जमीन की रंजिश में दिनांक 09.06.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, गडासा तथा हथगोला से चन्द्रशेखर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-438/1981 में भा0द0वि0 की धारा- 302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 24.09.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 02 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पट्टा जमीन की रंजिश में दिनांक 09.06.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, गडासा तथा हथगोला से चन्द्रशेखर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 58 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री रामसमुझ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी शंकर (बन्दी संख्या-43626) पुत्र श्री रामसमुझ, निवासी जनपद-बाराबंकी के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-933/2017/2336(1)/22-2-2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बाराबंकी।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश सख्ंया-933/2017/2336/22-2-2017-17(599)/2017

दिनांक 22 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री रामसमुझ, जो बहरेडीह, थाना-रामसनेहीघाट, जनपद-बाराबंकी का रहने वाला है। बन्दी ने पट्टा जमीन की रंजिश में दिनांक 09.06.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, गडासा तथा हथगोला से चन्द्रशेखर नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-438/1981 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी के आदेश दिनांक 24.09.1983 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.07.2003 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.06.2017 तक 14 वर्ष 10 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 02 माह 17 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है लेकिन प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी ने पट्टा जमीन की रंजिश में दिनांक 09.06.1981 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, बांका, गडासा तथा हथगोला से चन्द्रशेखर नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 58 वर्ष लगभग है। बन्दी अपराध करने में अशक्त नहीं है, बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित न रहने की पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, बाराबंकी द्वारा 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी शंकर पुत्र श्री रामसमुझ को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in